



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271479
CG-DL-E-01042026-271479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1573]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1573]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

का.आ. 1638(अ).—जबकि मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड,ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अदाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद-382 421, गुजरात पर स्थित है, ने गुजरात के कच्छ में अपनी 300 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के लिए अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/53/2025-PG दिनांक 02.06.2025 के द्वारा "मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड के 300 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना, कच्छ, गुजरात को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम", में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 11.06.2025, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 11.06.2025, और गुजरात समाचार (गुजराती में) दिनांक 11.06.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 19.07.2025 में प्रकाशन की

तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड, ने दिनांक 11.02.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्यमाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- एडब्ल्यूईके3एल (गाँव: बेराजा, तालुका-मुंद्रा, जिला-कच्छ गुजरात में स्थित जनरेशन स्विचयार्ड) - नावीनाल (मुंद्रा) एस/एस (जीआईएस) 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी या एम/सी टॉवरों पर)

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
गजोद	भुज	कच्छ	गुजरात
कंझारा, तापर, बबिया, तुम्बाडी मोती, तुम्बाडी नानी, रमणिया, बेराजा, सेती, बोचा, गेलदा, गराघोघा, काराघोघा, डेपा, सुखपर, सुखपर टिम्बो, नानी खाखर, मोती खाखर, देसलपर, बेराजा मोटा, बेराजा नाना, समाघोघा, कपाया मोटा, कपाया नाना, धरब, भुजपर मोटा, भुजपर नाना, प्रतापर, प्रताप पार-1, प्रताप पार-2, बोराना, जरपारा, सती, नावीनाल, धर्मशाला, सिराचा, कंडागारा, कंडागारा नाना, कंडागारा मोटा, टुंडा, दांडेरी, मुंद्रा ढोआ, मुंद्रा	मुंद्रा	कच्छ	गुजरात
पुनादी, भदिया नाना, भदिया मोटा, वंध, फरादी	मांडवी	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ श्री लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

- vi. मेसर्स अदाणी विंड एनर्जी कच्छ थ्री लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/23/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2026

S.O. 1638(E).—Whereas M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited, the applicant with its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, near Vaishno Devi Circle, S G Highway, Khodiyar, Ahmedabad – 382 421, Gujarat, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for Providing Connectivity to Adani Wind Energy Kutchh Three Limited for its 300 MW Wind Power Project in Kachchh, Gujarat.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.25-17/53/2025-PG dated 02.06.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for Providing Connectivity to Adani Wind Energy Kutchh Three Limited for its 300 MW Wind Power Project in Kachchh, Gujarat.

M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 11.06.2025 & Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 11.06.2025, Gujarat Samachar (in Gujarati) dated 11.06.2025 and in Weekly Gazette of India dated 19.07.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited has submitted an affidavit dated 11.02.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:—

- AWEK3L (generation switchyard situated in village: Beraja, Taluka- Mundra, District-Kachchh Gujarat) - Navinal (Mundra) S/s (GIS) 220kV S/c line (On D/c or M/c towers).

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:—

Villages	Tehsil	District	State
Gajod	Bhuj	Kachchh	Gujarat
Kanjhara, Tapar, Babia, Tumbadi Moti, Tumbadi Nani, Ramania, Beraja, Seti, Bocha, Gelada, Garaghogha, Karaghogha, Depa, Sukhpar, Sukhpar Timbo, Nani Khakhar, Moti Khakhar, Desalpar, Beraja Mota, Beraja Nana, Samaghogha, Kapaya Mota, Kapaya Nana, Dhrab, Bhujpar Mota, Bhujpar Nana, Pratapar, Pratap Par-1, Pratap Par-2, Borana, Jarpara, Sati, Navinal, Dharmasala, Siracha, Kandagara, Kandagara Nana, Kandagara Mota, Tunda, Danderi, Mundra Dhoa, Mundra	Mundra	Kachchh	Gujarat
Punadi, Bhadia Nana, Bhadia Mota, Wandh, Faradi.	Mandavi	Kachchh	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Adani Wind Energy Kutchh Three Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/23/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)